स्मरण पत्र

म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/19/पी-3/पार्ट-6/ 781 भोपाल, दिनांक 25/04/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषय:- प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों की माहवार जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ :- बोर्ड मुख्यालय का पत्र क्रमांक/बोर्ड/स्वी/19/पी-3/पार्ट-6/747 दिनांक 30.3.2019

-0-

उल्लेखित विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों के संबंध में 05 बिन्दुओं की जानकारी का पालन प्रतिवेदन दिनांक 15.4.2019 तक भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। **सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न है।**

वांछित प्रतिवेदन वर्तमान तक इस कार्यालय को अप्राप्त है। कृपया उक्त संबंध में पालन प्रतिवेदन शीघ्र भिजवाने का कष्ट करे।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/19/पी-3/पार्ट-6/ 782 भोपाल, दिनांक 25/04/2019

प्रतिलिपि:-

(1) निज सचिव, प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।

(2) संयुक्त संचालक/उपसंचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ...।

अपर संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बी–3/4/स्वी./19/पी–3/पार्ट-6/747 भोपाल,दिनांक 30/03/2019

प्रति,

भारसाधक अधिकारी,
कृषि उपज मंडी समिति,
.... (समस्त),

विषयः–प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में पदस्थ सुरक्षा कर्मियों की माहवार जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में कार्यरत् सुरक्षा कर्मियों के संबंध में विभिन्न स्तरों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिस हेतु सुरक्षा एजेन्सी से सूची प्राप्त कर सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा गार्ड तथा गनमेन जानकारी संलग्न कर भेजी जा रही है। मंडी समितियों में कार्यरत् सुरक्षा कर्मियों की संख्या का मिलान सुरक्षा एजेन्सी से प्राप्त सूची से करते हुए निम्न कार्यवाही करें :–

1– सुरक्षा एजेन्सी से प्राप्त सूची से मंडी में कार्यरत् सुरक्षा कर्मियों की संख्या का मिलान किया जावे।

2– आपको उपलब्ध कराई जा रही मंडीवार रखे गये सुरक्षा कर्मियों की संख्या एजेन्सी द्वारा प्रदाय की गयी है। आप अपने स्तर पर भी मंडी में कार्यरत् सुरक्षा एजेन्सी से नाम सहित सूची प्राप्त कर प्रदाय की गयी सूची से मिलान किया जावे।

3– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा जितने सुरक्षा कर्मियों को मंडी प्रांगण में जिस पॉइंट पर पदस्थ दर्शाया गया है उसका सत्यापन किया जावे।

4– सुरक्षा एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में जिस सुरक्षा कर्मी का नाम दर्ज है वह व्यक्ति ही उक्त पॉइंट पर कार्यरत् है अथवा नहीं इसका सत्यापन उक्त सुरक्षा कर्मी के पहचान–पत्र से किया जाये।

5– यह भी देखें कि लगाये गये सुरक्षा कर्मी उक्त कार्य करने में सक्षम हैं कि नहीं, अक्षम सुरक्षा कर्मियों को बदलने की तथा आवश्यकता से अधिक सुरक्षा कर्मियों को हटाने की कार्यवाही करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन दिनांक 15 अप्रैल, 2019 तक इस कार्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध करावें।

(फैज़ अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.

क्रमांक/बी–3/4/स्वी./19/पी–3/पार्ट-6/748 भोपाल,दिनांक 30/03/2019

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– संयुक्त/उपसंचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय (समस्त)।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल.